

आदेश

राजस्थान सेवा नियमावली 1956 के नियम 31 के तहत निम्नलिखित नायब तहसीलदारों को तदर्थ आवश्यक / अस्थाई आधार पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों पर तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया जाता है :-

1. उक्त आवश्यक/ अस्थाई आधार पर दी गई तदर्थ पदोन्नति, नियमित पदोन्नति का आधार नहीं होगी एवं उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप इनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।
2. यह पदोन्नति अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। तदर्थ रूप से तहसीलदार पद पर पदोन्नति को निरस्त करते हुये उनको मूल पद पर किसी भी समय पदावनत करने के अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
3. उक्त पदोन्नति व अंतिम वरिष्ठता राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7134/06, 4245/2008 एवं इस संबंध में किसी अन्य किसी न्यायालय में लंबित रिट/ अपील में होने वाले निर्णय/ आदेश के अधधीन होगी।

क्र.सं.	नाम नायब तहसीलदार	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री सोहनसिंह छोंकर/ रामखिलाडी	-	नायब तहसीलदार जिला भरतपुर
2	श्री मनमोहन व्यास/ हरीराम	-	नायब तहसीलदार जिला बाडमेर
3	श्री जगदीशप्रसाद खटीक/गोपीलाल	एससी	नायब तहसीलदार जिला हनुमानगढ़
4	श्री राजेन्द्र सिंह/ रिछपाल सिंह	-	नायब तहसीलदार जिला भीलवाडा
5	श्री नेकराम नागर/ रघुवरदयाल	-	नायब तहसीलदार जिला करौली
6	श्री प्यारेलाल डूडी/ कालूराम	-	नायब तहसीलदार जिला सीकर
7	श्री कृष्णगोपाल जोजन/ मोहनलाल	एससी	नायब तहसीलदार जिला झालावाड
8	श्री बृजलाल मीणा/ शंकरलाल	एसटी	नायब तहसीलदार जिला जोधपुर
9	श्री राजेन्द्रसिंह छोंकर/ बिहारीलाल	-	नायब तहसीलदार जिला भरतपुर

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं ।

आदेशानुसार

अति. निबन्धक (रातस)

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक:-18.12.09

क्रमांक/सम/ 11-80 - 12030

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा.अध्यक्ष महोदया, राजस्व मण्डल अजमेर
2. उपशासन सचिव, राजस्व(ग्रुप-1) विभाग, राज0, जयपुर ।
3. निजी सहायक, निबन्धक महोदया, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त ।
5. जिला कलक्टर, भरतपुर/बाडमेर/हनुमानगढ़/भीलवाडा/करौली/सीकर/झालावाड/जोधपुर।
6. श्री-----नायब तहसीलदार-----
7. वि0जांच/कम्प्यूटर/ गोपनीय शाखा, राजस्व मण्डल अजमेर।
8. निजी पत्रावली/आदेश पंजिका।

अति. निबन्धक (रातस)

राजस्व मण्डल राज., अजमेर